

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - दो

सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 (अग्रहायण 30, 1942)

सभा के गर्भगृह में आने पर स्वमेव निलंबन

आज सोमवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को अपरान्ह 1.28 बजे सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करते हुए निम्नलिखित माननीय सदस्य सभा गर्भ गृह में प्रवेश करने के कारण छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 250 के उपनियम (1) के तहत स्वमेव निलंबित हो गये :-

- 1 श्री धरमलाल कौशिक
- 2 डॉ.रमन सिंह
- 3 श्री बृजमोहन अग्रवाल
- 4 श्री ननकीराम कंवर
- 5 श्री पुन्नूलाल मोहले
- 6 श्री अजय चन्द्राकर
- 7 श्री नारायण चंदेल
- 8 श्री शिवरतन शर्मा
- 9 डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी
- 10 श्री सौरभ सिंह
- 11 श्री डमरूधर पुजारी
- 12 श्री विद्यारतन भसीन
- 13 श्री रजनीश कुमार सिंह
- 14 श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
- 15 श्री धर्मजीत सिंह

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की बैठक स्थगित होने के उपरान्त उपरोक्त माननीय सदस्यों का निलंबन समाप्त किया गया।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा